



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, सोनपुर



Email ID:- eercdsonepur@gmail.com

पत्रांक:- 1003(अनु०)
प्रेषक,

सोनपुर/दिनांक:- 06.12.2022

कार्यपालक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग,
पथ प्रमंडल, सोनपुर।

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

विषय:- पथ प्रमंडल, सोनपुर अन्तर्गत छपरा-मढ़ौरा पथ के मौजा-रामपुर, थाना-खैरा, थाना नं०-391, खाता सं०-152, 45 खेसरा सं०-546 एवं 547, जिला-सारण में HPCL द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट खोलने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग:- मुख्य अभियंता उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 2441 दिनांक 23.11.2022

महाशय,

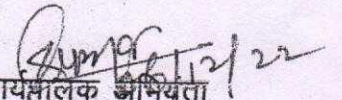
उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छाया प्रति संलग्न) के संबंध में सूचित करना है कि विषयांकित रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु मुख्य अभियंता उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ने प्रासंगिक पत्र द्वारा पथ निर्माण विभाग की भूमि को पहुँच पथ के रूप में विकसित कर व्यवहार करने हेतु 05 पॉच वर्षों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र विभागीय निदेश पत्रांक 4770 (ई०) दिनांक 24.08.2017 एवं संकल्प ज्ञापांक 1921 (एस) दिनांक 08.03.2018 के आलोक में निम्न शर्तों के साथ प्रदान की गई है:-

1. भविष्य में यदि आवेदक द्वारा प्रस्तावित स्थल के संबंध में दी गई सूचनाओं में कोई त्रुटि पाई जाती है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाएगा।
2. प्रत्येक 5 वर्ष पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1921 (एस) दिनांक 08.03.2018 की कंडिका-6 के अनुपालन में विभाग द्वारा निर्धारित **Renewal Fee** जमा कराते हरे नवीकरण कराना अनिवार्य होगा।
3. **MORTH. IRC** एवं विभागीय रिटेल आउटलेट से संबंधित दिशा निर्देश का पालन करना होगा। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु०:- (1) प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति।

(2) स्वीकृत नक्शा एक प्रति मूल में।

विश्वासभाजन


कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, सोनपुर
6/12/22

मुख्य अभियंता, उत्तर का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :- प्र०-23/उ०बि०(या०) आउटलेट-30-26/2022 2441/313

दिनांक :- 23/11/22

प्रेषक,

मुख्य अभियंता, उत्तर

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग,
सारण पथ अंचल, हाजीपुर।

विषय:-

पथ प्रमंडल, सोनपुर अन्तर्गत छपरा-मढ़ौरा पथ के मौजा-रामपुर, थाना-खैरा, थाना नं०-391, खाता सं०-152.45, खेसरा सं०-546 एवं 547 जिला-सारण में HPCL द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट खोलने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग:-

- (i) आपका पत्रांक-1360 (अनु०), दिनांक-11.11.2022
- (ii) विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 1921 (S) दिनांक- 08.03.2018
- (iii) विभागीय पत्रांक- 4770 (E), दिनांक 24.08.2017

महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में पथ प्रमंडल, सोनपुर अन्तर्गत छपरा-मढ़ौरा पथ के मौजा-रामपुर, थाना-खैरा, थाना नं०-391, खाता सं०-152.45, खेसरा सं०-546 एवं 547 जिला-सारण में HPCL द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए पथ निर्माण विभाग की भूमि को पहुँच पथ के रूप में विकसित कर व्यवहार करने हेतु 05 (पाँच) वर्षों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र विभागीय निदेश (पत्रांक-4770 (ई) दिनांक-24.08.2017) तथा संकल्प ज्ञापांक- 1921(S), दिनांक- 08.03.2018 के आलोक में प्रदान की जाती है। उक्त अनापत्ति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सोनपुर द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न चेकलिस्ट में अंकित विवरणों के आधार पर दी जा रही है। कृपया अपने स्तर से प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थल का निरीक्षण कर चेकलिस्ट में अंकित विवरणों से संतुष्ट होकर ही अग्रतर कार्रवाई की जाय। यदि भविष्य में इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो कार्यपालक अभियंता इसके लिए जिम्मेवार होंगे:-

1. भविष्य में यदि आवेदक द्वारा प्रस्तावित स्थल के संबंध में दी गई सूचनाओं में कोई त्रुटि पायी जाती है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. पेट्रोल पम्प के अनुमोदित नक्शा की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु मूल में लौटाई जाती है।
3. प्रत्येक 5 वर्ष के बाद विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1921 (S) दिनांक-08.03.2018 की कंडिका-6 के अनुपालन में विभाग द्वारा निर्धारित Renewal Fee जमा कराते हुए नवीकरण की जाएगी।
4. MoRTH, IRC एवं विभागीय रिटेल आउटलेट से संबंधित दिशा निर्देश का अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित किया जाय।
5. समर्पित चेकलिस्ट के आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि चेकलिस्ट में दर्ज सूचनओं से स्वयं भी संतुष्टि कर कार्रवाई करेंगे।

अनु०:-मूल नक्शा की एक प्रति।

विश्वासभाजन

मुख्य अभियंता, उत्तर

ज्ञापांक 1478/3 हाजीपुर दिनांक 01-12-22

प्रतिनिधि - कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल
को हस्ताक्षर एवं विभागीय निदेशों के अनुसार अनुपालन के बाद

अधीक्षक अभियंता
सारण पथ अंचल